विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

Letter No. 137 dt. 20/05/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/42
दिनांक 28.04.2026

आयुक्त, नगर निगम दुर्ग
बी.पी. नं. 1002422504
मो. नं. 8208396855

आवेदक

विरूद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (नगर) संभाग,
   छ.स्टे. पॉ. डि. कं. लिमिटेड, दुर्ग
2. सहायक अभियंता, बघेरा जोन,
   छ.स्टे. पॉ. डि. कं. लिमिटेड, दुर्ग

अनावेदकगण

विषय : नगर निगम दुर्ग के सड़क बत्ती हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन के मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में अनियमितता के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 18.05.2026 को पारित किया गया)

शिकायत का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत में यह अभ्यावेदन किया गया कि बी.पी. नं. 1002422504 से संबंधित सड़क बत्ती हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के पश्चात औसत विद्युत खपत लगभग 1200 यूनिट प्रतिमाह प्राप्त हो रही है, जबकि स्मार्ट मीटर लगाए जाने से पूर्व विभिन्न अवधियों में 2935 यूनिट एवं 2690 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर औसत बिलिंग की जा रही थी, जो वर्तमान वास्तविक खपत की तुलना में अत्यधिक एवं लगभग दुगुनी है।

आवेदक द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि नया स्मार्ट मीटर लगाए जाने के पश्चात खपत में आई कमी से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में की गई मीटर रीडिंग एवं औसत बिलिंग सही नहीं थी। अतः स्मार्ट मीटर से प्राप्त वास्तविक खपत के आधार पर पूर्व

अवधि की बिलिंग का पुनरीक्षण कर संशोधित बिल जारी किए जाने की प्रार्थना की गई।

<u>प्रकरण की कार्यवाही</u>

1. दिनांक 08.05.2026 को प्रकरण की प्रथम सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान आवेदक पक्ष से श्री मोहित मरकाम, सब इंजीनियर, नगर निगम दुर्ग उपस्थित हुए। अनावेदक पक्ष से श्रीमती अंजू देसाई, सहायक अभियंता, बघेरा जोन उपस्थित हुईं। कार्यपालन अभियंता अनुपस्थित रहे।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया कि सड़क बत्ती हेतु स्थापित उक्त विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग अनियमित रही, जिसके कारण त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल जारी किए जाते रहे।

3. फोरम के समक्ष सहायक अभियंता, बघेरा जोन द्वारा यह कथन प्रस्तुत किया गया कि संबंधित मीटर डिफेक्टिव हो जाने के कारण एस.ए.पी. प्रणाली में पूर्व माह की औसत खपत यूनिट के आधार पर प्रतिमाह बिलिंग की जा रही थी तथा जुलाई 2025 में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के पश्चात वास्तविक खपत के आधार पर बिलिंग की जा रही है।

4. फोरम द्वारा सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया कि प्रकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी, पिछले तीन वर्षों के बिलिंग गणना पत्रक एवं मीटर रीडिंग डायरी प्रस्तुत की जाए।

5. दिनांक 13.05.2026 को हुई सुनवाई में सहायक अभियंता द्वारा आवश्यक दस्तावेज एवं बिलिंग गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया।

<u>फोरम द्वारा परीक्षण एवं निष्कर्ष</u>

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों, बिलिंग अभिलेखों एवं पक्षकारों के कथनों का परीक्षण करने पर निम्न तथ्य परिलक्षित हुए—

1. अप्रैल 2018 से संबंधित मीटर डिफेक्टिव/स्टॉप अवस्था में था, जिसे मार्च 2019 में प्रतिस्थापित किया गया। उक्त अवधि में 4461 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर औसत बिलिंग की गई, जबकि उक्त औसत का आधार अभिलेखों में स्पष्ट नहीं पाया गया।

2. मीटर बंद/डिफेक्टिव रहने की अवधि में भी पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया, जबकि ऐसी स्थिति में पावर फैक्टर की वास्तविक रिकॉर्डिंग संभव नहीं थी। अतः उक्त अवधि में लगाया गया पावर फैक्टर सरचार्ज अनुचित एवं नियमानुसार गलत पाया गया।

3. फरवरी 2021 से मीटर पुनः स्टॉप/डिफेक्टिव अवस्था में रहा तथा जनवरी 2022 तक 3262 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर औसत बिलिंग की जाती रही, जबकि पूर्व की वास्तविक रीडिंग के आधार पर औसत खपत लगभग 2500 यूनिट प्रतिमाह होना उचित प्रतीत होता है।

4. फरवरी 2022 से जून 2025 तक, जब तक स्मार्ट मीटर स्थापित नहीं किया गया, 2935 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर औसत बिलिंग की जाती रही। उक्त अवधि में भी पावर फैक्टर की वास्तविक रीडिंग उपलब्ध न होने के बावजूद पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया जाता रहा, जो विद्युत आपूर्ति संहिता एवं प्रचलित नियमों के विपरीत है।

5. फोरम के परीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि में विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुरूप बिलिंग नहीं की गई।

6. परीक्षण में यह भी पाया गया कि उक्त विद्युत कनेक्शन में 3-फेज डायरेक्ट मीटर स्थापित है, जबकि मीटर किराया एल.टी. सी.टी. थ्री-फेज मीटर के अनुसार वसूल किया जा रहा है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।

7. स्मार्ट मीटर लगाए जाने के पश्चात प्राप्त वास्तविक खपत एवं पूर्व में की गई औसत बिलिंग के मध्य अत्यधिक अंतर पाया गया, जिससे पूर्व अवधि की औसत बिलिंग की शुद्धता संदिग्ध प्रतीत होती है।

उपरोक्त सभी बिंदुओं के संबंध में सहायक अभियंता स्पष्ट एवं संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। कार्यपालन अभियंता द्वारा भी उक्त विषय में कोई ठोस जवाब अथवा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

आदेश

उपरोक्त परीक्षण एवं निष्कर्षों के आधार पर फोरम निम्न आदेश पारित करता है

1. अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तथा फरवरी 2021 से जून 2025 तक मीटर डिफेक्टिव/स्टॉप रहने की अवधि की बिलिंग का विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार पुनर्निर्धारण किया जाए।

2. उक्त अवधियों में लगाए गए समस्त पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त किया जाता है।

3. औसत बिलिंग का पुनर्निर्धारण पूर्व की वास्तविक खपत एवं स्मार्ट मीटर से प्राप्त वास्तविक खपत के आधार पर किया जाए तथा संशोधित विद्युत देयक जारी किए जाएं।

4. संबंधित विद्युत कनेक्शन में स्थापित मीटर के अनुसार मीटर किराया दर संशोधित किया जाए तथा जिस अवधि से गलत दर से मीटर किराया वसूल किया गया है, उस संपूर्ण अवधि हेतु आवश्यक समायोजन किया जाए।

5. यदि उपरोक्त मदों में किसी राशि की अतिरिक्त वसूली की गई हो, तो उसे आगामी विद्युत देयकों में समायोजित किया जाए।

6. समस्त कार्यवाही एवं संशोधित बिल जारी करने की प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर पूर्ण की जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

7. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।

8. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।

9 यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेश से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।

(गंगोत्री कश्यप)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.की. अलीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग